प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज,उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्याः–1/शा0/20/2010–1/ 40/2010 ,लखनऊ ::दिनॉक –3 मई 2010
विषयः–केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में अनुदान–14 के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के शासनादेश संख्या–756/33–3–2010–100(9)/2010 ,दिनॉक 26–04–2010 एवं शासनादेश संख्या 983/33–3–2010–100 (9)/2010 दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के अन्तर्गत अनुदान सं0–14 में चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए विशेष प्रोत्साहन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–4410.00 लाख (रूपया–चौवालिस करोड़ दस लाख मात्र) में से धनराशि रू0–1102.50 लाख (रूपया– ग्यारह करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र) संलग्न सूची उल्लिखित जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को जिला पंचायतीराज अधिकारियों के निस्तारण पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–951/10–2010–231/2010, दिनॉक 26–03–2010 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/ जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेंन्ट)मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सीयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो ,उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी। जिस सीमा तक लाभार्थियों हेतु राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परिक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

6– उक्त धनराशि का व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का व्यय वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं में ही किया जायेगा।

7– **<u>जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।</u>**

8– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत--101–पंचायतीराज–08–ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयो का निर्माण (विशेष प्रोत्साहन) –27– सब्सिडी" के नामें डाला जायगा।

9– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त वित्त संशाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–सीए– 934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

10– किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–8 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11– आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एक मुश्त आहरित नही की जाएगी।

12– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जायगा।

13– उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्यवन हेतु समय--समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

14– प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–15 पर अंकित है।

संलग्न–उक्तवत्।

भवदीय,

(दया शंकर श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज,उ0प्र0।

संख्याः–1/शा0/20/2010, तददिनॉक.
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,लेखा आडिट(प्रथम)उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव पंचायतीराज,उ0प्र0शासन।
3– समस्त जिलाधिकारी ।
4– समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी उ0प्र0।
5– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0)उ0प्र0।
6– उपनिदेशक (पं0) (प्रथम) पचायतीराज,निदेशालय उ0प्र0।
7– विशेष सचिव वित्त ((व्यय–नियंत्रण) अनु0–3/वित्त बजट अनु0–2 उ0प्र0शासन।
8– विशेष सचिव पंचायती राज अनुभाग–3 उ0प्र0शासन।

(ओ0पी0द्विवेदी)
वित्त नियंत्रक,
पंचायतीराज,उ0प्र0।

1/शा0/20/2010–1/ 40/2010 ,लखनऊ ::दिनॉक 3 मई 2010 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं का आवंटन (विशेष प्रोत्साहन)

आनुदान संख्या–14

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	आवंटित धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5
1	मेरठ	22.80	5.70	5.70
2	बागपत	15.38	3.85	3.85
3	गाजियाबाद	12.32	3.08	3.08
4	गौतमबुद्धनगर	14.33	3.58	3.58
5	बुलन्दशहर	8.65	2.16	2.16
6	सहारनपुर	24.83	6.21	6.21
7	मुजफ्फरनगर	18.95	4.74	4.74
8	आगरा	22.75	5.69	5.69
9	अलीगढ़	22.66	5.67	5.67
10	हाथरस	13.60	3.40	3.40
11	एटा	5.90	1.48	1.48
12	मैनपुरी	24.05	6.01	6.01
13	मथुरा	15.94	3.99	3.99
14	फिरोजाबाद	12.84	3.21	3.21
15	बरेली	31.60	7.90	7.90
16	बदायू	21.20	5.30	5.30
17	पीलीभीत	41.22	10.31	10.31
18	शाहजहापुर	64.81	16.20	16.20
19	मुरादाबाद	46.90	11.73	11.73
20	ज्योतिबाफूलेनगर	57.57	14.39	14.39
21	रामपुर	59.59	14.90	14.90
22	बिजनौर	74.26	18.57	18.57
23	लखनऊ	153.89	38.47	38.47
24	रायबरेली	60.38	15.10	15.10
25	हरदोई	512.33	128.08	128.08
26	उन्नाव	167.94	41.99	41.99
27	सीतापुर	370.75	92.69	92.69
28	खीरी	63.3	15.71	15.71
29	फैजाबाद	39.21	9.80	9.80
30	अम्बेडकर नगर	45.54	11.39	11.39
31	सुल्तानपुर	51.73	12.93	12.93
32	बाराबंकी	152.65	38.16	38.16
33	गोण्डा	38.43	9.61	9.61
34	बलरामपुर	15.13	3.78	3.78
35	बहराइच	64.7	16.18	16.18
36	श्रावस्ती	26.89	6.72	6.72
37	इलाहाबाद	56.94	14.24	14.24
38	कौशाम्बी	48.31	12.08	12.08
39	फतेहपुर	28.42	7.11	7.11
40	प्रतापगढ़	21.06	5.27	5.27
41	वाराणसी	11.03	2.76	2.76

1/शा0/20/2010–1/ 40/2010 ,लखनऊ ::दिनॉक -3 मई 2010 का संलग्नक

पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2010–11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं का आवंटन (विशेष प्रोत्साहन)

आनुदान संख्या–14

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	जनपद का नाम	अनुमोदित परिव्यय	आवंटित धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5
42	चन्दौली	27.46	6.87	6.87
43	गाजीपुर	40.21	10.05	10.05
44	जौनपुर	118.82	29.71	29.71
45	मिर्जापुर	191.8	47.95	47.95
46	सोनभद्र	515.37	128.84	128.84
47	संतरविदासनगर	10.49	2.62	2.62
48	हमीरपुर	37.98	9.5	9.50
49	बांदा	59.59	14.90	14.90
50	चित्रकूट	41.5	10.38	10.38
51	महोबा	23.58	5.90	5.90
52	गोरखपुर	66.96	16.74	16.74
53	महाराज गंज	36.22	9.06	9.06
54	देवरिया	15.95	3.99	3.99
55	कुशीनगर	36.94	9.24	9.24
56	बस्ती	28.73	7.18	7.18
57	सन्त कबीर न0	32.17	8.04	8.04
58	सिद्वार्थ नगर	18.93	4.73	4.73
59	आजमगढ़	161.18	40.3	40.30
60	मऊ	70.72	17.68	17.68
61	बलिया	32.32	8.08	8.08
62	कानपुर नगर	28.70	7.18	7.18
63	कानपुर देहात	51.58	12.90	12.90
64	फर्रूखाबाद	28.44	7.11	7.11
65	कन्नौज	13.3	3.33	3.33
66	इटावा	47.06	11.77	11.77
67	औरैया	47.92	11.98	11.98
68	झांसी	10.77	2.69	2.69
69	ललितपुर	16.38	4.10	4.10
70	जालौन	18.27	4.57	4.57
71	कांशीरामनगर	19.88	4.97	4.97
योग		4410.00	1102.50	

(रू0 ग्यारह करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र)

(ओ0पी0 द्विवेदी)
वित्त नियंत्रक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

83 Benifiesery TSC Allot.